कार्यालय अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
म.प्र.पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, इंदौर.

क्रमांक/अप्रनि/पक्षे/01/सू.अ./05/9711 इंदौर, दि0......14.12.2005.

परिपत्र

इस कार्यालय के परिपत्र क्रमांक अएवंप्रनिदे/पक्षे/01/सू.अ./05/7787 दि. 30.09.2005 को निरस्त करते हुए म0प्र0 शासन के सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ–11–37/05/1/9 दिनांक 10.10.2005 एवं दि. 14.10.2005 को गृाह्य करते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत् सूचना प्राप्त करने का आवेदन शु:ल्क एवं अन्य शु:ल्क निम्नानुसार लेने का निर्णय किया है :–

1. आवेदन पत्र के साथ रू. 10/– का आवेदन शु:ल्क नगद अथवा नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प के रूप में लगना अनिवार्य है (बी.पी.एल. आवेदक से उक्त शु:ल्क देय नहीं है) ।

2. दस्तावेज/अभिलेखों की ए–3/ए–4 कागज की फोटोकापी कराकर जानकारी उपलब्ध कराने के लिये प्रति पृष्ठ दो रू. की दर तय की जाती है । इससे अधिक बड़े कागज की फोटो कापी लेने पर उसका वास्तविक मूल्य, जैसा कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा नियत किया जावे, संबंधित आवेदक से वसूला जावे ।

3. इसके साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा (7) की उपधारा (5) के तहत् फ्लॉपी/डिस्केट में जानकारी हेतु 50/– प्रति फ्लापी/डिस्केट आवेदक से वसूल की जावे ।

4. यदि आवेदक किसी दस्तावेज या अभिलेख का निरीक्षण करना चाहता है तो लोक सूचना अधिकारी या सहायक लोक सूचना अधिकारी इस प्रयोजन के लिये अपने अधीनस्थ अधिकारी को प्रतिनियुक्त करेगा और आवेदक जो गरीबी रेखा के नीचे नहीं है, उसके लिये एक घण्टे या उससे कम के लिये रू. 50/– (पचास रू.) का भुगतान करेगा और तत्पश्चात् प्रत्येक 15 मिनिट या उसके भाग के लिये रू. 25/– (पच्चीस) नगद या नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प के रूप में प्रभारित किये जावेंगे ।

5. प्रमाणिक नमूना प्रदाय किये जाने हेतु नमूने की वास्तविक लागत, जैसा कि लोक सूचना अधिकारी निर्धारित करे, ली जानी है । (बी.पी.एल. आवेदक से भी नमूने की लागत ली जानी है) ।

6. प्रथम अपील शु:ल्क रू. 50/– तथा द्वितीय अपील शु:ल्क रू. 100/– नगद अथवा नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प के रूप में जमा किया जाना है । (बी.पी.एल. आवेदक से उक्त शु:ल्क देय नहीं है) ।

आदेशानुसार,

(रणधीर कुमार)
अतिरिक्त सचिव